

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 टि.प्र.क्रिया सहिता के तहत)

1. District (ज़िला): खीरी
P.S. (थाना): तिकोनियाँ
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0219
Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 04/10/2021 02:53
Year (वर्ष): 2021

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा ट सं 1860	147
2	भा ट सं 1860	148
3	भा ट सं 1860	149
4	भा ट सं 1860	279
5	भा ट सं 1860	338
6	भा ट सं 1860	304-A
7	भा ट सं 1860	302
8	भा ट सं 1860	120-B

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): रविवार
Date From (दिनांक से): 03/10/2021
Date To (दिनांक तक): 03/10/2021
Time Period (समय अवधि): पहर 5
Time From (समय से): 15:00 बजे
Time To (समय तक): 15:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 04/10/2021 Time (समय): 02:53 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 011 Date & Time 04/10/2021 02:53 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण - पश्चिम, Beat No.

1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): 01 किमी (बीट सं.):

(b) Address महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, क्रीडा स्थल के पास, वृहद कस्बा तिकुनियों
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	आशीष मिश्र उर्फ मोनू		पिता का नाम अजय मिश्र टेनी	1. ग्राम बनवीरपुर पंचनाम खैरीगढ़ लिकोनिया, खैरी, उत्तर प्रदेश, भारत 1. अज्ञात, अज्ञात
2	अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्ति			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

(नकल तहरीर वादी) सेवा में, श्रीमान् धाना प्रभारी महोदय तिकुनियाँ खैरी, प्रार्थनापत्र वास्ते दर्ज किये जाने एक 0आई0आर0 श्रीमानजी, निवेदन है कि आपको सादर अवगत कराना है आज दिनांक 03.10.2021 को समस्त क्षेत्र वासी किसान एवं मजदूर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व उप-मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य शासन उत्तर-प्रदेश के विरुद्ध काले झण्डे दिखाने हेतु महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज कीडा-स्थल तिकुनियाँ खैरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। घटना लगभग 3 बजे की है, उक्त केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू निवासी- ग्राम बनवीरपुर पर 0 खैरीगढ़ तह 0 निघासन जिला खैरी अपने तीन चार पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15- 20 अज्ञात असलहों से लैस व्यक्तियों के साथ बनवीरपुर से सभा-स्थल की तरफ तीव्र गति से आये। आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपनी धार महिन्दा गाडी में बायीं सीट पर बैठ कर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौदते हुए आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविन्दर सिंह पुत्र सुखवेन्दर निवासी- ग्राम मटरोनिया, नानपारा उम्र लगभग 22 वर्ष की गोली लगने मौके पर मृत्यु हो गयी। तथा तीव्र गति से भीड़ पर सड़क के दोनों तरफ खड़े किसानों को टारिदगी पूर्वक रौदते हुए आगे बढ़े, दो गाड़ियों के नम्बर UP31AS 1000, व UP32KM0036 व एक अज्ञात वाहन (स्कारपियो महिन्दा गाडी) है। शेष पृष्ठ -2 (2) आशीष मिश्र उर्फ मोनू की तीव्र से आती गाड़िया अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गयी जिससे कई राहगीर भी गम्भीर रूप से घायल

हुए। आशीष मिश्र मोनू फायरिंग करते हुए गन्ने में भाग कर छुप गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कुल चार किसानों की मृत्यु हुई जिनके नाम गुरविंदर सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह ग्राम- मटरोनिया नानपारा उम्र 22 वर्ष, दलजीत सिंह पुत्र हरी सिंह नि० ग्राम बनजारा टाण्डा, नानपारा उम्र 35 वर्ष, नक्षत्र सिंह पुत्र सुखा सिंह नि०- ग्राम-नमटापुरा धौरहरा तहसील (खीरी) व लवप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह नि०- चौखडाफार्म पलियाँ कलाँ खीरी की मृत्यु हुई। एवं अन्य कहीं किसान गभीर घायल है। उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडियो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनीकी धमकीपूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी स्वरूप किसानों ने विरोध दर्ज करवाने हेतु रोप प्रदर्शन किया। गृहराज्यमंत्री के पुत्र ने गुण्डईपूर्वक उक्त कृत्य कारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभीत्स घटना कारित कर दी गयी। उक्त कृत्य उक्त गृहराज्य मंत्री व उसके पुत्र आशीष मिश्र मांनू द्वारा सुनोयिजत तरीके से पडयत्रपूर्वक की गयी है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि घटना को गम्भीरतापूर्वक सजान में लेते हुए उक्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्जकर शीघ्र गिरफ्तार करने की कृपा करे। दिनाड 03.10.2021 ई०, प्रार्थी:- पुत्र हरी सिंह नि० ग्राम बजारनटाण्डा नानपारा, सुखदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह नि०- मोहरनिया फार्म बडराइच, सतनाम सिंह s/o सन्तोष सिंह ग्राम- चौखडा फार्म। नोट- तहरीर की नकल क०मुशी चंचल चौधरी को का० हरिकान्त वर्मा (पीएनओ 192433802) के द्वारा कम्प्यूटर पर अक्षरशः बोल-बोलकर कम्प्यूटरीकृत करायी गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मट सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) Balendu Gautam Rank I (Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 012270053 to take up the investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):